पैरवी करने के लिए वर्तमान में नियुक्त अधिवक्ताओं की संख्या सहित उनके नाम क्या क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी फीस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन सांविधिक निगमों के रूप में निगमित या सरकारी लिमिटड कम्पनियों के रूप में सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने वाणिज्यिक तथा विनिर्माणकारी कार्य-कलाप व्यावसायिक प्रतिमानों के अनुसार सम्पन्न करते हैं। इन कार्यकलापों के दौरान कुछ विवाद अवश्य उठ खड़े होते हैं जिनमें या तो औद्योगिक कानून की कुछ धाराओं का निर्वाचन अथवा आयात एवं निर्यात या कोई अन्य कार्य शासित करने वाला कोई अन्य कानून शामिल होता है। इन दिन-प्रति-दिन के कार्यों को पूरा करने के लिये उन्हें अधिवक्ताओं को नियुक्त करना पड़ता है ताकि सम्बद्ध न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में से जहां भी हो, प्रबन्धकों का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया जा सके। हालांकि कुछ सरकारी उद्यमों ने उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालयों में मुकदमों की परवी के लिये विख्यात अधिवक्ताओं को रखने की स्थायी व्यवस्था कर रखी है, फिर भी सदा उनकी सेवाओं का लाभ उठाना सम्भव नहीं है, जबकि मुकदमें उन छोटे कस्बों/शहरों में लड़े जाते हैं या जहां विवाद मामूली किस्म का हो। सरकार के पास इसका ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। चूंकि न्यायालयों में लम्बित ऐसे मुकदमों की संख्या तथा ऐसे विवादों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की संख्या बहुत अधिक होगी। इसलिये न तो नियुक्त किये गये अधिवक्ताओं अथवा उनमें से प्रत्येक को अदा किये गये शुल्क के बारे में सुसंगत जानकारी एकत्र करना सरकार के लिये सम्भव नही है। अतः सरकार महसूस करती है कि इस जानकारी को एकत्र करने में जितना प्रयास करना पड़ेगा, अभीष्ट प्राप्त परिणाम उसके अनुरूप सिद्ध नहीं होंगे, विशेषकर जबकि उपक्रमों की संख्या 200 से अधिक है जिनके शाखा कार्यालय/एकक देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष प्रबन्ध-निदेशकों द्वारा विदेश-यात्रा पर किया गया व्यय

1883. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी-क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशकों, निदेशक मण्डल के सदस्यों और प्रबन्धकों को प्रदत्त यात्रा-भत्तों, विदेश यात्राओं और आवास सुविधाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी, और

(ख) सरकार ने इन पर होने वाले खर्च पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये है या उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक, निदेशक मण्डल के अन्य सदस्यों तथा प्रबन्धकों की विदेश यात्राओं पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किये गये खर्च का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। चूंकि हमारे 200 से अधिक सरकारी उद्यम है और इनके शाखा कार्यालय/एकक देश के कोने-कोने में सर्वत्र फैले हुए हैं, अतः इसका ब्यौरा एकत्र करने में जितना प्रयास एव जितना समय लगेगा, प्राप्त परिणाम उसके अनुरुप सिद्ध नहीं होंगे।

(ख) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक तथा अंशकालिक निदेशकों को विदेश यात्रा पर जाने से पहले प्रभारी मंत्री महोदय की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। इन कार्यपालकों द्वारा कार्य पूरा करके अपनी वापसी पर निदेशक मण्डल को

आवश्यक रूप से सूचित करना भी पड़ता है । निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय अन्य पदाधिकारियों /कार्यपालकों/प्रबन्धकों के यात्रा कार्यक्रम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं तथा उन्हें भी अपनी वापसी पर उनके द्वारा पूरे किये गये कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है । इन रिपोर्टों की भी निदेशक मण्डल द्वारा समीक्षा की जाती है । ये प्रबन्ध यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त हैं कि कोई परिहार्य विदेश यात्रा न की जाये ।

Irregularities in Despatch of Uncontrolled cloth by NTC Units (WBABO)

1884. SHRI RAMANAND YADAV: Will the Minister of SUPPLY AND TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the special audit report has revealed that Rs. 219.31 lakhs were drained out in a planned manner by the unauthorised despatch of uncontrolled cloth to M/s. Adarsh Bazar Consumers Cooperative Limited, Patna during January, 1983 to Februaty, 1984 by the units under the N.T.C. (WBABO);

(b) whether the sale was effected on credit basis in complete disregard of the N.T.C policy of sale on cash basis;

(c) if so, whether any action for the recovery of this amount has been initiated by the Sales Division and the Finance Division of the N.T.C. (WBABO);

(d) whether it is a fact that indiscriminate sale on credit without even inquiring into the creditability of the customers have resulted in direct financial loss to the N.T.C. (WBABO); and

(e) if so, what action has been taken against those erring officials of the N.T.C (WBABO)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH): (a) and (b) The special audit report, which covered the period 1979-80 to 1983-84 point out irregularities regarding transactions amounting to Rs. 218.31 lakhs. The credit sale, involving an amount of Rs. 198.95 lakhs has been considered as a serious financial and procedural irregularity by the said report. Goods worth about Rs. 105.00 lakhs were sent under despatch instructions on credit. Sales without despatch instructions and on credit, involving an amocnt of Rs. 93.75 lakhs, are irregular.

(c) NTC (Holding Company) and NTC (WBABO) are in constant touch with the National Consumer Cooprative Federation Ltd. for the recovery of the outstanding dues. A committee consisting of three officials from National Cooperative Consumer Federation and two from NTC (WBABO) has been formed to sacrutinse the pending issues regarding the said supply of non-controlled cloth.

(d) While sales to Government/Co-op. institutions are generally made on credit basis, such credit sales to private parties are made only on the basis of credit worthiness of the party, past experience, the general reputation in the trade, bank reference and the amount of security deposit. According to available information, the incidence of bad dabts is a very small percentage of the total quantam of sales.

(e) Three officers of the NTC (WBABO) connected with the despatch of uncontrolled cloth without delivery instructions from National Cooperative Consumers Federation to M/s. Adarsh Bazar Consumer Cooperative Stores Ltd., Patna, have since been placed under suspension by the Corporation, pending further inquiry.

Misappropriation of Bank Draft

1885. SHRI SOHAN LAL DHUSIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaint to the effect that a Bank Draft of Rs. 5000/- issued by the Purani Basti State Bank and sent by one Shri Rahmat Ali on the 24th February, 1984 to the Chandni Chowk Delhi branch of the State Bank of India has been misappropriated; and